07/3/2024	अधिवक्ता अपीलान्ट एवं पेशोकार सरकार उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सख्या बावजूद सूचना अनुपस्थित। आवाज लगवाई गई रेस्पोडेन्ट सख्या उपस्थित नही हुई अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई।
ता.डी. 112 18-3-24	संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट के विरुद्ध रेस्पोडेन्ट एवं नामान्तरण सख्या 1401 ग्राम बस्सी दिनांक 08/01/2007 इस आशय की अपील प्रस्तुत की है कि ग्राम बस्सी तहसील बस्सी स्थित आराजी सख्या 797/4027 रकबा 0.3600 799/4029 रकबा 0.1600, 799 मी रकबा 0.1000 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6200 है जो खातेदारान फातमा बी हुसैनी बानो हसीना बानो, सहनाज, रजाउल, अख्तर अली जाहिद हुसैन एवं जारून्नल बेगम से अपीलान्ट ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22/12/2006 से उनका निहित हिस्सा अपीलान्ट ने क्रय किया, जिसका नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम ना खोल कर, रेस्पोडेन्ट के नाम पर अंकित कर दिया जबकि उक्त विक्रय पत्र मे क्रेता अपीलान्ट है। ....लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner

नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख में जारी हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 22.12.2006 से खरीदशुदा आराजीयात पर कब्जा अपीलान्ट का है, फिर भी कोई जांच पड़ताल न कर रेस्पोडेन्ट के नाम नामान्तरकरण करने मे भारी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमा नामान्तरकरण संख्या 1401 पर पारित निर्णय जिसे रेस्पोडेन्ट का नाम अंकित किया गया है, जो निरस्त कराया जावे व विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम पर अंकित कराये जाने के आदेश प्रदान करावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अपील विलम्ब से पेश की गई। इस हेतु अपील के साथ प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्याय हित मे स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य की जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। हमने पत्रावली का अवलोकन/अध्ययन का अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर गहनता से मनन किया। अपील मेमो के साथ प्रस्तुत विक्रय पत्र से स्पष्ट है कि ग्राम बल्दी स्थित आराजी संख्या 797/4027 / 0.3600, 799/4029 / 0.1600, 799 मी / 0.1000 कीता 3 कुल ---- लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

Scanned with AnyScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जा...
	रकबा 0.6200 हे. में विक्रेतागण का निहित हक हिस्सा अपीलान्ट को विक्रय किया गया है जबकि नामान्तरकरण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 01 नानीबाई के नाम खोला गया जो प्रथम दृष्टया गलत है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या ~~[illegible]~~ 1401 दिनांक 08/01/2007 ग्राम बस्सी निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार बस्सी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र के आधार पर जांच कर, विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बस्सी को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

Scanned with AnyScanner